कार्यपत्र-20

1. सही उत्तर के आगे ठीक (✓) का चिह्न लगाइए।

(क) इनमें रचना के आधार पर वाक्य का भेद है– (iii) मिश्र वाक्य ✓

(ख) यदि तुम आओगे, तो हम साथ बाज़ार चलेंगे।– अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है– (ii) संकेतवाचक ✓

(ग) इनमें आज्ञावाचक वाक्य है– (iii) बच्चो, अब तुम पढ़ो। ✓

(घ) मेरे भाई मुकुल ने गाना सुनाया।– वाक्य में उद्‌देश्य है– (i) मेरे भाई मुकुल ✓

(ङ) आप चाय लेंगे या कॉफ़ी?– रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। (ii) संयुक्त वाक्य ✓

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(क) वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसे उद्‌देश्य कहते हैं। इस प्रकार वाक्य का कर्ता उद्‌देश्य होता है। वाक्य में उद्‌देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, वह विधेय कहलाता है।

(ख) जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य समुच्चयबोधक अव्ययों के द्‌वारा जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे– माधवी खाना पकाती है और सबको खिलाती है।

(ग) अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद हैं– 1. विधानवाचक वाक्य 2. निषेधवाचक वाक्य
3. प्रश्नवाचक वाक्य 4. आज्ञावाचक वाक्य 5. इच्छावाचक वाक्य 6. संदेहवाचक वाक्य
7. संकेतवाचक वाक्य 8. विस्मयादिवाचक वाक्य।

3. रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए।

(क) माँ खाना बनाएगी और बच्चों को खिलाएगी। — संयुक्त वाक्य

(ख) मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। — सरल वाक्य

(ग) जैसे ही मैं घर पहुँचा, वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। — मिश्रित वाक्य

(घ) कल तेज़ आँधी आई इसलिए मैं निकल नहीं सका। — संयुक्त वाक्य

(ङ) कैलाश को अचानक घर जाना पड़ा। — सरल वाक्य

4. अर्थ के आधार पर वाक्य भेद लिखिए।

(क) ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। — इच्छावाचक वाक्य

(ख) उफ़! बाहर कितनी गर्मी है। — विस्मयादिवाचक वाक्य

(ग) तुम सब यहीं बैठे रहो। — आज्ञावाचक वाक्य

(घ) उसने दिनभर खाना नहीं खाया। — निषेधवाचक वाक्य

(ङ) हो सकता है आज बारिश हो। — संदेहवाचक वाक्य

5. निर्देशानुसार वाक्य बदलिए।

(क) वह खाना खाकर पढ़ने बैठ गया। (संयुक्त वाक्य में)
उसने खाना खाया और पढ़ने बैठ गया।

(ख) जैसे ही मैं घर पहुँचा, वैसे ही बिजली चली गई। (सरल वाक्य में)
मेरे घर पहुँचते ही बिजली चली गई।

(ग) मैं विद्यालय जाऊँगा और पिता जी दफ़्तर जाएँगे। (मिश्र वाक्य में)
जब मैं विद्यालय जाऊँगा तब पिता जी दफ़्तर जाएँगे।

(घ) चूँकि वह दोषी है, इसलिए उसे सजा मिलेगी। (संयुक्त वाक्य में)
वह दोषी है इसलिए उसे सजा मिलेगी।